फर्द अहकाम

नियम 20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारिख अहकाम जो हुक्म को तामील जारी हुए
21.10.22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी वकील वादी को निर्देश की प्रतिलिपि का 2, 3, 4, 5 का गवाह पर तलबाना पेश करें। पेश होने पर जारी हो। पत्रावली वास्ते 2, 3, 4, 5 को पेश की तामील हेतु 16.12.22 को पेश हो।	
16.11.22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को बार-बार तलबाना पेश करने के निर्देश दिये जाने के बाद भी आज तक तलबाना पेश नहीं किया गया। इस से यह स्पष्ट है कि वकील वादी व स्वयं वादी अपने दावे को लेकर गम्भीर नहीं है। प्रकरण की सुनवाई न्यायालय के निर्देशों की पालना नहीं करने के कारण खारीज किया जाता है। पत्रावली केवल शुमार होकर अभिलेख दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:56:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner